



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

11AA 659184

प्र॒र॑प—26

(नियम 4क देखिए)

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड राज्य पर्यटन बोर्ड, देहरादून
संदर्भ सं. 001

- 5 JAN 2012

विद्यारू समा उन्नरण्णक (सदन का नाम) के लिये निर्वाचन के लिये रिटार्निंग आफसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला शपथपत्र।


मैं नरेश के घ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी भूमि एवं एस. के घ.....
 आयु ३१ वर्ष, जो ८५/उ. इन्डिया कॉलोनी ब्रिटिश ब्रिटेन में
 का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निवाचन में अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से
 प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ/शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती
 हूँ:-

1. मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है / किये गये हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त हैं तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा / करेगी)

W. Vaile

- (i) मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याएँ नाही.
- (ii) पुलिस थाना (थाने) जिला या जिले
राज्य नाही.
- (iii) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिये अभ्यर्थी आरोपित किया गया है नाही.
- (iv) न्यायालय जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई नाही.
- (v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था / किए गये थे नाही.
- (vi) क्या कभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है / हैं नाही.



मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिये सिद्धदोष ठहराया गया है / नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिये कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है / नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप से सिद्धदोष ठहराया गया और दण्डाविष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा)

- (i) मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याएँ नाही.
- (ii) न्यायालय, जिसने दंडित किया है नाही.

W. Vardh

- (iii) पुलिस थाना (थाने) जिला (जिले)
राज्य लालू नहीं
- (iv) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिये अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है
लालू नहीं
- (v) तारीख (तारीखें) जिनको दण्डादेश सुनाया गया था / सुनाए गये थे
लालू नहीं
- (vi) क्या दण्डादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है / रोके गए हैं ...
लालू नहीं



N. Vaid,
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता / करती हूँ कि इस शपथपत्र की अन्तर्वर्स्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं हैं और कोई तात्त्विक बात छिपायी नहीं गयी है।

देहरादून स्थान पर आज तारीख 12/11/12 को सत्यापित किया।

N. Vaid

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

Nanesh Matlay
12/11/12
am